संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9 / नर्सिंग / सेल–4 / 2016 / 179 भोपाल दिनांक 16/02/2016

प्रति,

1. **समस्त,**
   संभागीय संयुक्त संचालक
   स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
2. **समस्त,**
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. **समस्त,**
   सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्यप्रदेश।
4. **अधीक्षक**
   क्षय चिकित्सालय भोपाल, इंदौर, छिंदवाडा, नौगांव (छतरपुर)
   ग्वालियर म.प्र.।
5. **अधीक्षक**
   जनसेवारूग्णालय ईटारसी, रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर,
   के.एन.के. काटजू चिकित्सालय भोपाल, सिविल अस्पताल बैरागढ भोपाल म.प्र.।
6. **प्राचार्य,**
   नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन / जबलपुर म.प्र.।
7. **समस्त प्राचार्य,**
   जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र मध्यप्रदेश।
8. **समस्त प्राचार्य,**
   महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता म.प्र.।

विषय :– प्रशिक्षण हेतु अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्तुत किये जाते है। जिसमें प्रायः यह देखने में आया है कि मात्र पत्र द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। परंतु संबंधित छात्राओं के अवकाश के बारे में, इनके द्वारा, पूरे सेवाकाल में अध्ययन अवकाश लिया गया है अथवा नहीं, की जानकारी से आज दिनांक तक संचालनालय को किसी भी कार्यालय द्वारा अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदनों के संबंध में नियमानुसार स्पष्ट एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त कर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये जावें। यदि भविष्य में इस प्रकार के आवेदन प्रस्तुत किये जाते है तो प्राप्त आवेदनो पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा। एवं लंबित प्रकरणों हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक नर्सिंग
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश।

local disk D/ggg/E:\ggg\letter.docx